अध्यक्ष महोदय

सत्यमेव जयते

असंशोधित

3 1 MAR 2006

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रॅ०सं०...7&&....तिथि...&/5...

बि० स० मु० (एल० ए०) 219—मानो—1,000—9·6·2004

चतुर्दश विधान सभा ३१मार्च,२००६ई०.

---------- शुक्रवार,तिथि ----------

द्वितीय सत्र १०,चैत्र,१९२८ (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - ११.००बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष - अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।अल्प सूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

व्यवधान

डा०रामचन्द्र पूर्वे- अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष - अभी नहीं, जीरो आवर में इस पर बोलियेगा। प्रोसिडिंग्स में यह सब नहीं जायेगा।

व्यवधान

माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री विजेन्द्र प्र०यादव,मंत्री-अध्यक्ष महोदय, मनोज के माता-पिता माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं,सारी बातें हो गयी है।

व्यवधान

अध्यक्ष - माननीयय सदस्यगण, अब अपना-अपना स्थान तो ग्रहण करें। श्री आर०आर०कनौजिया । यह पहले का पूछा हुआ है। माननीय मंत्री,कृषि विभाग ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्प सूचित प्रश्न संख्या- घ -३२

श्री नरेन्द्र सिंह,मंत्री - अध्यक्ष महोदय,

खंड-१ यह सही नहीं है। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,पूसा में सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक के पदों का आदेश आरक्षण रोस्टर का संधारण हो चुका है एवं बिहार सरकार से अनुमोदित भी हो गया है। तत्पश्चात् २८२ सहयक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिकों के पदों को विज्ञापित किया जा चुका है।

खंड-२ विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत कनीय वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता जांच या दो वर्षों का कार्य अनुभव अनिवार्य है। इन शर्त्तों के अनुरूप ही पदों को विज्ञापित किया गया है।

खंड-३ कनीय वैज्ञानिक/सहयक प्राध्यापक के २८२ कुल विज्ञापित पदों में से १३४ बैकलॉग पदों को सम्मिलित किया गया है। शेष बचे हुए बैकलॉग पदों को विज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय से कहा

गया है कि वे अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विशेष व्यवस्था करें ताकि ये पद रिक्त न रह जायें।

श्री आर०आर०कनौजिया - अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रबंध कमिटी जो विश्वविद्यालय की है, कार्य अनुभव का, उसके अनुसार ३०-०४-०५ को प्रबंध कमिटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जहां कैंडिडेट उपपलब्ध नहीं होंगे, उसमें दो सालों का जो कार्य अनुभव दिया गया है, नेट को दिया गया है; इसको रिलैक्स किया जायेगा और उसके दो साल के अंदर में नियुक्ति के बाद, कंप्लीट करा दिया जायेगा नेट। महेदय, यू०जी०सी० ने भी ऐसा ही कहा है कि जहां नेट वाले कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हैं जिनको दो सालों का कार्य अनुभव नहीं है उनके मामले में उनकी नियुक्ति कर ली जाये चूंकि कैंडिडेट एभेलेबुल नहीं है As per qualification और उसके साथ ही साथ दो साल के अंदर उनका नैट कर दिया जाये। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जो नियम बनाये हुये हैं, जो दलित बी० एस० सी० एग्रीकल्चर, एम० एस० सी० एग्रीकलचर किये हैं उनकी नियुक्ति करके नेट बाद में दो साल के कार्य का अनुभव का विचार रखती है ?

अध्यक्ष - माननीय मंत्री,कृषि ।

श्री नरेन्द्र सिंह(मंत्री) क्या इन्होंने लास्ट में पूछा?

श्री आर0आर0कन्नौजिया:अध्यक्ष महोदय,दो साल का रिलैक्स देकर,नेट बाद में वे कर लेंगे,जो अभी विज्ञापन निकला हुआ है उसमें इसके अनुसार नियुक्ति उनकी की जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह(मंत्री)महोदय,ऐसा है कि विश्वविद्यालय परिनियम में 6-10-04 को एक संशोधन हुआ और संशोधन के माध्यम से यह निर्णय लिया गया ।यह मैं पढ़ कर सुना देता हूँ।Net shall be relaxabe for a candidate having two years teaching or Research or Extension Education experience in an University/National Institute of repute.यानी रिलैक्स दिया जायेगा, नेट को जिनको ऐक्सटेशन एडुकेशन और टीचिंग का ऐक्सपेरियेंस होगा, उनके लिए रिलैक्स होगा, स्थायी तौर पर जो बात माननीय सदस्य ने कहा उसमें मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ एक चिट्ठी और आ गयी है भारत सरकार के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से, वो चिट्ठी है मैं उसको भी पढ़कर सुना देना चाहता हूँ वो 9 मार्च,06 को आया है. It was informed by the representatives of MHRD that the Govt.has appointed a committee under the chairmanship of prof.B.L.Mungekar to consider the issue regarding NET as eligibility condition for appointment of Lecturers.The Commission decided that this issue may be kept in abeyance till the report is received from the committee appointed by the Government.यानी जो कुछ भी रिलैक्स बगैरह की प्रकिया विश्वविद्यालय अपना रही है, उसको अभी शिथिल रखे और जो मार्गदर्शन है, उसको पूरा करे, जबतक कि कमिटी रिपोर्ट नहीं देती है और मानव संसाधन विभाग,भारत सरकार की ओर से ये कमिटी गठित की गयी है। यह सूचना भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हमारे पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एवं अन्य विश्वविद्यालय को दिया है,हमलोगों ने यह निर्णय लिया है विभाग में, कि हम यू0जी0सी0 से यह अनुरोध करेंगे कि हमारे यहां शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है इसलिए इस पर जल्द से जल्द निर्णय लें या हमें अपना परिनियम बनाकर जो भर्त्ती का सिलसिला हमने

जारी रखा है उसको चलने दे और बाद में जो कमिटी का जो रिपोर्ट आयेगा वह हमें मान्य होगा।इस आधार पर हम चिट्ठी भारत सरकार को भेजेंगे और भारत सरकार से जो भी आयेगा,यू0जी0सी0 से, उसके बाद निर्णय लिये जा सकेंगे।

श्री आर0आर0कन्नौजिया: महोदय,अभी बैक लौग का सारा भैकेंसी निकला हुआ है,और उसकी जो तिथि है वह भी नजदीक है,अगर यूनिवर्सिटी को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह समुचा को बहाल कर ले तो सारा सीट जो दलितों के लिए आरक्षित है वह खत्म हो जायेगा।अंत में दलितों को कुछ नहीं मिलेगा और वहां से जवाब आता ही रहेगा। इसलिए मै सरकार से पूछना चाहता हूँ कि दलितों के लिए जो आरक्षित सीट की भैकेंसी निकाली गयी है उस पर सरकार बहाल करने का विचार रखती है?

श्री नरेन्द्र सिंह(क्रमश:) मान्यवर यह रिजर्ब और अनरिजर्ब का सबाल नहीं है ये जो चिट्ठी आयी है, जो डायरेक्शन आया है, तमाम लोगों पर लागू होता है,जहां तक बैक लौग का सबाल है और रिजर्ब सीटों को भरने का सबाल है उसी के लिए हमने कहा है 238 बैक लौग के कुल पद रिक्त है,जिनमें से 101 अनुसूचित जाति,70 अनुसूचित जन जाति के पद थे उसके विरूद्ध वर्त्तमान विज्ञाप्ति पदों में से बैक लौग के 134 पद हैं जिसमें अनुसूचित जाति के 58 अनुसूचित जन जाति के 14 पद सम्मिलित है बाकी अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है इसके अतिरिक्त 72 आरक्षित पद भी विज्ञाप्ति किये गये हैं इसमें 24 अनु0जा0एवं 1अनु0ज0जा0के पद भी सम्मिलित हैं इसके अतिरिक्त बैक लौग के शेष बचे 103 पदों को विज्ञापन के द्वितीय चरण में विज्ञाप्ति करने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें 44 अनु0जा0 एवं 58 अनु0ज0जा0 के पद सम्मिलित होंगे। (क्रमश:)

टर्न-३/३१-३-२००६/बिपिन

अल्प-सूचित प्रश्न सं०: 'घ'-३२ पर आगे

श्री नरेन्द्र सिंह,मंत्रीः क्रमशः इसलिए यह जो प्रक्रिया है, इसके तहत कहीं भी बैकलॉग को भरने में हमें कठिनाई नहीं है लेकिन प्रक्रिया, योग्यता, अर्हता जो भी निर्धारित किये जाते हैं वह किसी भी नियुक्ति के लिए, वह सभी के लिए सामान्य रूप से किये जाते हैं। यह जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए ऐज को भी रिलैक्सेशन दिया गया है । और, उनके लिए जो सीटें पहले से बैकलॉग की हैं, मैंने जैसा कहा, उनको भी रखा गया है और बाकी बचे सीटों को भरने के लिए द्वितीय चरण में कार्रवाई हमारे यहां चालू है ।

श्री आर०आर०कनौजियाः महोदय, सरकार जो है किसी भी, या मेडिकल कॉंसिल ऑफ इंडिया हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, बाइंडिंग नहीं है सर । उसके लिए सरकार अपने अनुसार, अपने स्टेट में....

अध्यक्ष : आप अपना कोश्चयन स्पष्ट कीजिए ।

श्री आर०आर०कनौजियाः महोदय, जब तक नहीं एक्सप्लेन करेंगे, न्यू आइडियाज या न्यू थिंग्स है, कानून है तो माननीय सदस्य हैं, आप हैं, कैसे समझेंगे...

अध्यक्षः आपने तो स्पष्ट लिखा है कि १९७० से बैकलौग है उसको सरकार कब तक करेगी !

श्री आर०आर०कनौजियाः सारे नियमों को शिथिल करते हुए, अनुसूचित जाति-जनजाति के, नहीं,नहीं, जो बेकार नियम हैं उसको शिथिल करते हुए यू०जी०सी० का जो गाइड-लाइन है जिसके अनुसार आज तक हुआ है, उसी अनुसार नियुक्तियां की जाएं । इसी पर सरकार के यहां, अभी जो पहले हुई थी, यह चिट्ठी मार्च की जो आई है, जिसमें कहा गया है कि १८हजार, उसको छोड़ते हुए .....

अध्यक्षः एक ही बात को रिपिट न करें कनौजिया जी ! सीधे अपनी बात कहें ।

श्री आर०आर०कनौजियाःअध्यक्ष महोदय,....

श्री नरेन्द्र सिंह, मंत्रीः महोदय, मैं बार-बार कह रहा हूं कि किसी भी पद को भरने के लिए जो अर्हता, योग्यता निर्धारित की जाती है उसको पूरा करना अनिवार्य है चाहे वह आरक्षित वर्ग के हों या अनारक्षित वर्ग के हों । जहां तक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का सवाल है, उनके लिए जो सीटें बैकलॉग से खाली चली आ रही हैं, उनको भरने के लिए हमने बताया आपको कि २३८पद टोटल रिक्त रहे हैं अब तक जिसको अभी भरने के लिए हमने १३४ पद को विज्ञापित किया है । बाकी और जो पदें हैं, उन पदों को भरने के लिए हमलोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है । ये कहते हैं पूरे नियम को शिथिल करने के लिए, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के निदेशानुसार विश्वविद्यालय संचालन होता है। वहां नियुक्तियां होती हैं। वहां अन्य भी काम होते हैं । ऐसी परिस्थिति में कोई नियम को जो शर्त्त रखी गई है नियुक्ति की, उसको मैं नहीं समझता हूं कि कोई सरकार उसमें कोई शिथिल करके और कोई नया रास्ता निकालेगी लेकिन हमने एक बात कहा है कि हमलोग लिखेंगे भारत सरकार को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कि वह हमको इसको शिथिल

करने के लिए परमीशन दे और जब वह निर्णय करेगी, तब हम उसको मान्य करेंगे, लेकिन हम सीधे निर्णय नहीं ले सकते हैं ।

श्री श्याम रजकः अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा कि प्रथम बार चिट्ठी आई यू०जी०सी० की जिसमें कि रिलैक्स करने की बात कही गयी है, मेरा यह माननीय मंत्री जी से पूछना है कि उस समय भैकेन्सी निकाल करके रिलैक्स करके क्यों नहीं नियुक्ति की गई ? अगर नियुक्ति नहीं की गई तो राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,पूसा का जो प्रबंध समिति है उस पर क्या कार्रवाई करना चाहती है सरकार ?

श्री नरेन्द्र सिंह,मंत्रीः मान्यवर, कोई कार्रवाई करने का सवाल नहीं है । प्रबंध समिति को अधिकार है कि अपने जो स्टैच्युटरी बॉडी है उसमें वह कोई संशोधन करे । और, हमने इसे ऐक्ट के माध्यम से बनाया है ।

दूसरी बात ये कहते हैं कि उस वक्त क्यों नहीं किया गया, तो उस वक्त तो हमारी सरकार थी नहीं। यह २००४ का निर्णय है। हम कोई आरोप नहीं करना चाहते हैं । लेकिन कार्रवाई किस पर और क्यों, उसको निर्णय लेने का हक है। वह निर्णय कर अपना शर्त्त, अपने अनुबंध को शामिल कर सकता है । उसने किया है और उसमें फिर रिलैक्स किया जा सकता है नये परिवेश में, तो नये परिवेश में रिलैक्स करने के रास्ते हमलोग निकालने के प्रयास में हैं, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं ।

टर्न-४/मधुप/३१.३.२००६

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 'घ'- ३२ का पूरक ..क्रमशः...

श्री जीतन राम माँझी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बैकलॉग और आरक्षण के संबंध में बात कही । महोदय, नियम और परिनियम के साथ-साथ परम्पराएँ भी होती हैं । हमलोग जानते हैं कि विश्विविद्यालय यू०जी०सी० के कंट्रोल और निर्देशन में चला करता है तो सबसे पहले, प्रबंध समिति वहाँ प्रमुख समिति होती है और उसको सभी प्रकार के अधिकार और शक्ति प्राप्त हैं तो हम जानना चाहेंगे कि क्या राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध समिति ने ऐसी अनुशंसा की थी कि जो अहर्त्ता होती है नेट की या दो वर्ष का जो समय है, उसको शिथिल करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी की जाए ? यह सत्य है या नहीं ?

दूसरी बात, इसी प्रकार के समकक्ष विश्वविद्यालय की मुझको जानकारी है - जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय की वहाँ की प्रबंध समिति के द्वारा निर्णय लिया गया और एक-दो वर्ष की जो अहर्त्ता है और नेट का जो क्वालिफिकेशन है, जहाँ तक अनुसूचित जाति का मामला है, उसको वहाँ शिथिल किया है और नियुक्ति की तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या बिहार सरकार जो सामाजिक न्याय की सरकार है, दलितों के मसीहा की सरकार है, हम जानना चाहेंगे कि क्या इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी नियम को शिथिल करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी करेंगे या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह, मंत्री : महोदय, मैंने बार-बार कहा, फिर मैं उस बात को दुहराता हूँ । माननीय सदस्य, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रबंध समिति है, उसके बोर्ड ने निर्णय किया ६ अक्टूबर, २००४ को, उसने रिलैक्सेशन किया नेट पर उसके साथ शब्द जोड़ा.....

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता और जवाब देने वाले - दोनों एक ही राशि के लोग हैं । प्रश्न कुछ है और जवाब कुछ आ रहा है । हमारा आग्रह है अध्यक्ष महोदय, कि आप प्रश्नकर्त्ता सदस्य, माननीय मंत्री के साथ इन तमाम विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने चेम्बर में एक बैठक बुला लें और राजेन्द्र कृषि विश्विद्यालय के संबंध में एक सांगोपांग विचार-विमर्श हो जाये ।

श्री श्याम रजक : ठीक रहेगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह : महोदय, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । इसमें जो प्रश्नकर्त्ता हैं, और भी जो माननीय सदस्य हैं, जिन लोगों ने पूरक प्रश्न इसपर पूछा है, विभाग के लोग भी रहेंगे, आप इसको देख लें ।

अध्यक्ष : आसन इसको देख लेगा ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 'च'- ४१

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,

खण्ड-१ : उत्तर अस्वीकारात्मक है । राष्ट्रीय सम विकास योजना राज्य में वित्तीय वर्ष २००२-०३ के दौरान लाया गया । इसके तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (२००२-०७) में ४००० करोड़ रूपये की शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान राशि